आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031, दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी– किशनीत कौर, संपर्क नंबर– 9818130420
प्राधिकृत अधिकारी– सागर जुनेजा, संपर्क नंबर– 9625886882

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट–IV–ए
(नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें)
अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में स्तंभ (ii) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) तथा सह–ऋणकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित स्तंभ (iii) के अनुसार निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक अधिग्रहण, पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उनका विक्रय यहां नीचे विवरणितानुसार 25–04–2024 को "जैसी हैं जहां हैं", जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा, जो कि स्तंभ (v) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) एवं सह–ऋणकर्ता(ओं) की ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. के रूप में अभिज्ञात) को देय–भुगतेय बकाया राशि की वसूली हेतु किया जाएगा। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.idfcfirstbank.com में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

नीलामी विवरण

क्र. सं.	(i) मांग सूचना राशि	(ii) ऋणकर्ता(ओं) एवं सह–ऋणकर्ता(ओं) के नाम	(iii) संपत्ति पता	(iv) आरक्षित मूल्य राशि	(v) धरोज राशि	(vi) नीलामी की तिथि एवं समय	(vii) धराज नीलामी की तिथि एवं समय	(viii) संपत्ति के निरीक्षण की तिथि
1.	आईएनआर 22,50,334.47/– मांग सूचना तिथि : 20–05–2021	मोह. इरफान, साइमा बेगम और मोह. इमरान	एमआईजी फ्लैट सं. एस. एफ. 03 धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो द्वितीय तल पर, छताधिकारों के साथ, क्षेत्र माप 600 वर्ग फुट अर्थात् 55.74 वर्ग फुट, भूखंड सं. ए–6/4ए पर निर्मित, आवासीय कॉलोनी डीएलएफ अंकुर विहार, ग्राम लोनी, परगना एवं तहसील लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व– अन्य भूमि, पश्चिम– भूखंड सं. ए–6/4 एवं सड़क 9 मीटर चौड़ी, उत्तर– भूखंड सं. ए–6/5 एवं दक्षिण– स्वास्थ्य केंद्र।	आईएनआर 6,71,850/–	आईएनआर 67,185/–	25–04–2024 को 11.00 से 1.00 बजे	24–04–2024 को 10.00 से 5.00 बजे	19–04–2024 को 1.00 से 4.00 बजे

अस्वीकरण : कृपया नोट करें कि उक्त सूचना केवल अचल संपत्ति के विक्रयार्थ निर्गत की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पास अचल संपत्ति पर पड़ी हुई चल परिसंपत्तियों, यदि कोई, को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

दिनांक : 09–04–2024
स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. के रूप में अभिज्ञात)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031, दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी– किशनीत कौर, संपर्क नंबर– 9818130420
प्राधिकृत अधिकारी– आशुतोष शर्मा, संपर्क नंबर– 9915018995

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट–IV–ए
(नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें)
अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में स्तंभ (ii) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) तथा सह–ऋणकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित स्तंभ (iii) के अनुसार निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक अधिग्रहण, पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उनका विक्रय यहां नीचे विवरणितानुसार 25–04–2024 को "जैसी हैं जहां हैं", जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा, जो कि स्तंभ (v) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) एवं सह–ऋणकर्ता(ओं) की ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. के रूप में अभिज्ञात) को देय–भुगतेय बकाया राशि की वसूली हेतु किया जाएगा। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.idfcfirstbank.com में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

नीलामी विवरण

क्र. सं.	(i) मांग सूचना राशि	(ii) ऋणकर्ता(ओं) एवं सह–ऋणकर्ता(ओं) के नाम	(iii) संपत्ति पता	(iv) आरक्षित मूल्य राशि	(v) धरोज राशि	(vi) नीलामी की तिथि एवं समय	(vii) धराज नीलामी की तिथि एवं समय	(viii) संपत्ति के निरीक्षण की तिथि
1.	आईएनआर 14,58,794.01/– मांग सूचना तिथि : 20–09–2018	अंशुल शर्मा एवं आशा शर्मा	भूतल पर स्थित दुकान के समस्त वह भाग जिसकी प्राइवेट सं. 1–ए है जो छताधिकार के बिना,एमपीएल नं. 1329–1331 पुराना एवं 2084 नया है, जो वार्ड नं. 8, कटरा गोकुल शाह बाजार सीताराम, दिल्ली–110006 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– गली, पश्चिम– साधारण दीवाल तथा संपत्ति का भाग, उत्तर– आम दीवाल तथा दुकान सं. 1बी, संपत्ति का भाग तथा दक्षिण– पी. नं. 2085, संपत्ति का भाग	आईएनआर 4,59,165/–	आईएनआर 45,916.5/–	25–04–2024 को 11.00 से 1.00 बजे	24–04–2024 को 10.00 से 5.00 बजे	19–04–2024 को 1.00 से 4.00 बजे

अस्वीकरण : कृपया नोट करें कि उक्त सूचना केवल अचल संपत्ति के विक्रयार्थ निर्गत की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पास अचल संपत्ति पर पड़ी हुई चल परिसंपत्तियों, यदि कोई, को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

दिनांक : 09–04–2024
स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. के रूप में अभिज्ञात)

प्रपत्र नं. 14
[विनियम -33(2) देखें]
वसूली अधिकारी कार्यालय- I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी-1)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी/156/2023 15.02.2024

केनरा बैंक बनाम रेखा ट्रेडिंग कम्पनी

सेवा में

(सीडी 1) रेखा ट्रेडिंग कंपनी, इसके प्रोपराईटर रेखा शर्मा के माध्यम से, 656/आईबी, बोहरो का चौक, चिराग दिल्ली, शेख सराय, नई दिल्ली–110017 और: प्लॉट नं. 448, भूतल, काकरोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, द्वारका मोड़, उत्तम नगर पश्चिम, दिल्ली–110059 और: खसरा नं. 834 मिन, 835 मिन 836 मिन में भूमि के प्लॉट पर ऊपरी भूतल पर सम्पत्ति नं. यूजी–7, जोकि गांव डेरा मंडी में लाल डोरा की विस्तारित आबादी में तहसील हौज खास (महरौली) नई दिल्ली 110074

(सीडी 2) रेखा शर्मा, मैसर्स रेखा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप., 656/आईबी बोहरो का चौक, चिराग दिल्ली, शेख सराय, नई दिल्ली–110017 और: प्लॉट नं. 448, भूतल, काकरोला ओउजिंग कॉम्प्लेक्स, द्वारका मोड़, उत्तम नगर पश्चिम, दिल्ली–110059 और: **खसरा नं. 834 मिन, 835 मिन 836 मिन में भूमि के प्लॉट पर फ्लैट नं. यूजी–7, जोकि गांव डेरा मंडी में लाल डोरा की विस्तारित आबादी में तहसील हौज खास (महरौली) नई दिल्ली 110074**

यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, टीए नं. 1849/2022 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार रुपये– **57,24,327.00** (एक सत्तावन लाख चौबीस हजार तीन सौ सत्ताईस मात्र) की राशि पेंडेंट–लाइट और भविष्य के ब्याज के साथ @ 9.85% दिनांक 17.02.2020 से वार्षिक साधारण ब्याज की वसूली तक और रुपये 60,000/- (रु. साठ हजार) की लागत आपके खिलाफ देय हो गई है (संयुक्त और अलग–अलग /पूर्ण सीमित रूप से)।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 30.04.2024 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 15.02.2024 को दिया गया।

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

RELIANCE Asset Reconstruction

पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, नॉर्थ साइड, निरलोन नॉलेज पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के सामने, गोरेगांव पूर्व, मुंबई-400063

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं ने इंडियन ओवरसीज बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। चूंकि उधारकर्ता वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2017 को इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंडियन बैंक ने असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से निम्नलिखित उधारकर्ताओं की वित्तीय संपत्तियों को उनके सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ–साथ सभी अंतर्निहित सुरक्षा हितों के साथ आरएआरसी 068 ट्रस्ट के ट्रस्टी रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में सौंप दिया।

उक्त कार्य के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत मांग नोटिस दिनांक 26.02.2024 को पंजीकृत के माध्यम से पोस्ट किया था। जिससे उधारकर्ताओं से नोटिस की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित संपूर्ण बकाया को अतिरिक्त ब्याज के साथ चुकाने का आह्वान किया जा सके। हालाँकि, चूंकि नीचे उल्लिखित कुछ पक्षों को मांग नोटिस नहीं भेजा जा सका, इसलिए वैकल्पिक सेवा के माध्यम से इसे उधारकर्ताओं को भेजा जाता है।

विवरण निम्नानुसार हैं:

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता आदि का नाम और पता

1. मेसर्स अकिला क्रिएशन्स (उधारकर्ता) (इसके मालिक श्री शमशाद अहमद पुत्र बहू खान द्वारा प्रतिनिधित्व) दुकान नंबर– 59, गली नंबर 1, हलवारिया मार्केट हजरतगंज, लखनऊ–226001
2. श्री इरफान अली पुत्र स्वर्गीय मो. वसी खान (बंधककर्ता/गारंटर) पता, 529ए/1412, पंत नगर, खुर्रम नगर, लखनऊ (यूपी)– 226016
3. श्री दानिश खान पुत्र स्वर्गीय मो. वसी खान (बंधककर्ता/गारंटर) पता, 529ए/1412, पंत नगर, खुर्रम नगर, लखनऊ (यूपी)– 226016

बकाया राशि (रुपये में): रु. 1,04,70,895.02/– (रुपए एक करोड़ चार लाख सत्तर हजार आठ सौ पंचानबे और दो पैसे मात्र) जो आपके द्वारा देय और देय है। उक्त बकाया राशि के अलावा, आप 31–01–2024 के बाद ऋण खातों पर अर्जित ब्याज और शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

सुरक्षित चल/अचल संपत्तियों का विवरण:– प्राथमिक सुरक्षा– मेसर्स अकिला क्रिएशन्स, दुकान नंबर–59, गली नंबर 1, हलवारिया मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ–226001 के स्टॉक का दृष्टिबंधक। संपार्श्विक सुरक्षा– यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 8, बाल्मिकी मार्ग लालबाग वार्ड–हजरतगंज, लखनऊ की दूसरी मंजिल पर दुकान नंबर 5 का वह पूरा हिस्सा और पार्सल, जिसकी माप 21.933 वर्ग मीटर है। जो श्री मोहम्मद दानिश खान पुत्र मोहम्मद वसी खान के स्वामित्व में। सीमाएँ–पूर्व – 6 फीट चौड़ा आम रास्ता, पश्चिम – पीली शाही मस्जिद, उत्तर – अन्य की दुकान, दक्षिण – अन्य की दुकान। अतिरिक्त संपार्श्विक सुरक्षाः – यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर दुकान नंबर 2, 8 बाल्मिकी, मार्ग, लालबाग, वार्ड हजरतगंज, लखनऊ की दुकान का समान बंधक, माप 10.223 वर्ग मीटर, श्री इरफान अली पुत्र मोहम्मद वसी खान के स्वामित्व में है। सीमाएँ – उत्तर में – अन्य संपत्ति, दक्षिण में – सामान्य मार्ग, पूर्व में – अन्य संपत्ति, पश्चिम में – सामान्य मार्ग।

60 दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त संपूर्ण बकाया राशि चुकाने में विफलता के मामले में, अधोहस्ताक्षरी को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को लागू करने के लिए बाध्य किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आप यहां उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति के साथ लेनदेन या हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित हैं, चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हो।
इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम के तहत अपराध और दंडनीय है।

स्थानः – लखनऊ **हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांकः– 09.04.2024 **रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

जेडओ मुंबई पश्चिम, वसूली विभाग :– प्रथम तल, बी–विंग, 101, नियो विक्रम सीएचएसएल, सहकार नगर, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (प.), मुंबई – 400 058

मेगा ई–नीलामी 24.04.2024 को मध्या. 11.00 से सायं 05.00 बजे तक सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत जो वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से "जैसी है जहां है आधार, जैसी है जो है आधार" पर होगी

परिशिष्ट–IV–ए" (नियम 8(6) का प्रावधान देखें) अचल संपत्तियों की विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक अधिग्रहण इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उसकी निम्नानुसार वसूली करने के लिये 24.04.2024 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर विक्रय किया जायेगा :–

प्रलेख, संपत्ति और निरीक्षण की तिथि एवं समय : 22.04.2024 को प्रातः 10.00 से अप. 04.00 बजे तक

धरोहर राशि जमा 23.04.2024 को प्रातः 10.00 से अप. 04.00 बजे के मध्य में जमा किया जाना है

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	संपत्ति का विवरण (अधिग्रहण की स्थिति) संपत्ति आईडी	प्रतिभूत ऋण की राशि	आरक्षित मूल्य (आर.पी.) धरोहर राशि जमा 23.04.2024	विक्रय विवरणों हेतु शाखा पता एवं संपर्क विवरा
1.	मैसर्स व्हाइट रोज क्रियेशन्स	1. संपत्ति सं. 1133 से 1135, रेलवे रोड के पीछे, ताऊ लाल कॉम्प्लेक्स के समीप, एम सी सीमा पानीपत हरियाणा के अंदर, सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत । (संपत्ति सांकेतिक अधिग्रहण के अंतर्गत)। संपत्ति आईडी– IDIBAEWC01	रु. 3,17,08,693/– (रुपये तीन करोड़ सत्रह लाख आठ हजार छह सौ तिरानबे मात्र) 29.08.2023 के अनुसार साथ में राशि पर नियत भावी ब्याज, लागतें, अन्य शुल्क एवं व्यय	1. रु. 2,16,00,000.00 (रुपये दो करोड़ सोलह लाख मात्र) 1. 21,60,000 (रुपये इक्कीस लाख साठ हजार मात्र)	11/12, माधव नगर, एस वी रोड, अंधेरी (पश्चिम), अंधेरी (पश्चिम), 400058 शाखा– अंधेरी शाखा प्रधान– रामेश्वर लाल प्रजापत, मोबा. 7568507016

अधिक विवरण और नियम व शर्तें डाउनलोड करने के लिए, कृपया यहां जाएं : (i) (i) https://www.indianbank.in, (ii) (ii) https://www.mstcecommerce.com, (iii) (iii) https://www.ibapi.in, ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https: www.mstcecommerce.com) हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा जिसका पंजीकृत कार्यालय 225–सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700 020 में स्थित है (फोन और टोल फ्री नंबर 079–41072412/411/413 या 1800–103–5342 पर संपर्क करें)।

संभावित बोलीदाताओं के लिए महत्वपूर्ण नोट :(ई–नीलामी https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से, पंजीकरण इच्छुक बोलीदाता द्वारा ईएमडी तिथि पर या उससे पहले पूरा किया जाना चाहिए और यहां वैश्विक वॉलेट में ईएमडी शेष होना चाहिए)। बोलीदाता को अग्रिम में निम्नलिखित औपचारिकतायें पूरी करनी होंगी :– चरण 1 : बोलीदाता/क्रेता पंजीकरण – बोलीदाता को ई–नीलामी पोर्टल (ऊपर दिया गया लिंक) http://www.mstcecommerce.com (यानी (https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/) पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करकपंजीकरण करना होगा। चरण 2 : केवाईसी सत्यापन– बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी प्रलेख अपलोड करने होंगे। केवाईसी प्रलेख को ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें 2 कार्य दिवस लग सकते हैं)। चरण 3 : ईएमडी राशि को उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में अंतरित करना : ई–नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी / ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन / ऑफ–लाइन अंतरण। चरण 1 से चरण 3 तक बोलीदाता को ईएमडी तिथि से पहले या उससे पहले ही पूरा कर लेना चाहिये।

दिनांक : 09–04–2024 हस्ता./–
स्थान : मुंबई **इंडियन बैंक, प्राधिकृत अधिकारी**

ध्यान दें : यह उपरोक्त ऋण के उधारकर्ता / गारंटरों / बंधककर्ताओं के लिए उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर इस विक्रय के आयोजन और अन्य विवरणों के बारे में एक सूचना भी है।

कार्यालय ग्रा.पं. दुधौना, वि.खं. ददरौल (शाहजहाँपुर)

अल्पकालीन निविदा सूचना

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेस–2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना में चयनित ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कार्यों हेतु वाहन निर्माण कार्य की सामग्री /अन्य सामग्री ग्राम पंचायत में उपलब्ध मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा 15वें वित्त योजना की धनराशि से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए निम्नलिखित कार्यों हेतु अल्पकालीन निविदा प्रस्तावित की जाती है। कार्यो का विवरण उनकी लागत तथा अन्य विवरण निम्नवत हैः–

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य की माप	कार्य की अनु.लागत (लाख में)
1.	आर.आर.सी. सेंटर का निर्माण	6 चौड़ाई 9 लंबाई	4,06,000/–

आपूर्ति किये जाने हेतु अनुभवी संस्था के चयन हेतु अल्पकालीन/सामान्य निविदा आमंत्रित की जा रही है निविदा की शर्तें एवं विवरण निविदा पत्र में अंकित है जिसे ग्राम पंचायत के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदाकर्ताओं की फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड को प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा। सामग्री की मात्रा/संख्या घट बढ़ सकती है। 2% धरोहर धनराशि नगद अथवा एफ.डी.आर. के रूप में ग्राम पंचायत के नाम बंधक की जाएगी। निविदा प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 04.03.2024 को 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से क्रय की जा सकती है। निविदा दिनांक 09.03.2024 को 3.00 बजे निविदादाताओं तथा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

प्रधान- परमवीर **सचिव- धर्मेन्द्र मिश्रा**

कार्यालय ग्रा.पं. भरगंवा, वि.खं. ददरौल (शाहजहाँपुर)

अल्पकालीन निविदा सूचना

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेस–2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना में चयनित ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कार्यों हेतु वाहन निर्माण कार्य की सामग्री /अन्य सामग्री ग्राम पंचायत में उपलब्ध मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा 15वें वित्त योजना की धनराशि से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए निम्नलिखित कार्यों हेतु अल्पकालीन निविदा प्रस्तावित की जाती है। कार्यो का विवरण उनकी लागत तथा अन्य विवरण निम्नवत हैः–

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य की माप	कार्य की अनु.लागत (लाख में)
1.	आर.आर.सी. सेंटर का निर्माण	6 चौड़ाई 9 लंबाई	4,06,000/–

आपूर्ति किये जाने हेतु अनुभवी संस्था के चयन हेतु अल्पकालीन/सामान्य निविदा आमंत्रित की जा रही है निविदा की शर्तें एवं विवरण निविदा पत्र में अंकित है जिसे ग्राम पंचायत के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदाकर्ताओं की फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड को प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा। सामग्री की मात्रा/संख्या घट बढ़ सकती है। 2% धरोहर धनराशि नगद अथवा एफ.डी.आर. के रूप में ग्राम पंचायत के नाम बंधक की जाएगी। निविदा प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 04.03.2024 को 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से क्रय की जा सकती है। निविदा दिनांक 09.03.2024 को 3.00 बजे निविदादाताओं तथा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

प्रधान- ऊषा देवी **सचिव- धर्मेन्द्र मिश्रा**

अनुसूची I
प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा (संशोधित)
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14

यूनीमैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	यूनीमैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	13.05.2022
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2022FTC398379
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	फ्लैट नं. 303ए, 3रा तल, हेमकुन्ट चैम्बर, नं. 89, नेहरू प्लेस, दक्षिण दिल्ली, भारत, 110019
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में परिसमापन आरंभ होने की तिथि	26 मार्च, 2024
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	श्री अखिलेश कुमार गुप्ता पताः ए-16/9, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057, भारत ईमेल आईडीः UPL.VL@LLCA.NET, टेलीफोन नं.: +91-11-42591800 पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00780/2017-2018/11353
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	25 अप्रैल, 2024

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूनीमैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 26 मार्च, 2024 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।
एतद्द्वारा यूनीमैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 25 अप्रैल, 2024 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./–
तिथिः 09 अप्रैल, 2024 (अखिलेश कुमार गुप्ता)
स्थानः नई दिल्ली परिसमापक

यह सार्वजनिक सूचना पूर्व की सार्वजनिक सूचना तिथि 06 अप्रैल, 2024 को अधिलंघित करता है।

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

RELIANCE Asset Reconstruction

पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, नॉर्थ साइड, निरलोन नॉलेज पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के सामने, गोरेगांव पूर्व, मुंबई–400063

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं ने इंडियन ओवरसीज बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। चूंकि उधारकर्ता वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 30.06.2017 को इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंडियन बैंक ने असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से निम्नलिखित उधारकर्ताओं की वित्तीय संपत्तियों को उनके सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ–साथ सभी अंतर्निहित सुरक्षा हितों के साथ आरएआरसी 068 ट्रस्ट के ट्रस्टी रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में सौंप दिया।

उक्त कार्य के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत मांग नोटिस दिनांक 26.02.2024 को पंजीकृत के माध्यम से पोस्ट किया था। जिससे उधारकर्ताओं से नोटिस की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित संपूर्ण बकाया को अतिरिक्त ब्याज के साथ चुकाने का आह्वान किया जा सके। हालाँकि, चूंकि नीचे उल्लिखित कुछ पक्षों को मांग नोटिस नहीं भेजा जा सका, इसलिए वैकल्पिक सेवा के माध्यम से इसे उधारकर्ताओं को भेजा जाता है।

विवरण निम्नानुसार हैं:

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता आदि का नाम और पता

1. मेसर्स सिल्क पैलेस (मालिक– श्री समशाद अहमद) निवासी दुकान नंबर 9, दूसरी मंजिल, यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स, 8 बाल्मिकी मार्ग, लालबाग वार्डहजरतगंज, लखनऊ

बकाया राशि (रु. में):– रु. 24,41,652.30/– (केवल चौबीस लाख इकतालीस हजार छह सौ बावन तीस पैसे रुपये जो आपको देय है। उक्त बकाया राशि के अतिरिक्त, आप 31–01–2024 के बाद ऋण खातों पर अर्जित ब्याज और शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं

सुरक्षित चल/अचल संपत्तियों का विवरणः – प्राथमिक सुरक्षा – दुकान नंबर 9, दूसरी मंजिल, यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स, 8 बाल्मिकी मार्ग, लालबाग, वार्ड– हजरतगंज, लखनऊ, पिन पर मेसर्स सिल्क पैलेस के भुगतान किए गए स्टॉक और बुक ऋण का दृष्टिबंधक 226001. संपार्श्विक सुरक्षा – दुकान नंबर 9, दूसरी मंजिल, यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स, 8 बाल्मीकि मार्ग, लालबाग, वार्ड–हजरत गंज, लखनऊ, माप क्षेत्र 11.895 वर्ग मीटर पर स्थित वाणिज्यिक संपत्ति का पूरा हिस्सा और पार्सल जो श्री समशाद अहमद प्रोपराइटर सिल्क पैलेस के स्वामित्व में है। सीमाएँ – उत्तर की ओर – अन्य की दुकान दक्षिण की ओर – लेन पूर्व की ओर – सामान्य मार्ग पश्चिम की ओर – शाही मस्जिद

60 दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त संपूर्ण बकाया राशि चुकाने में विफलता के मामले में, अधोहस्ताक्षरी को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को लागू करने के लिए बाध्य किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आप यहां उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति के साथ लेनदेन या हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित हैं, चाहे वह बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हो।
इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम के तहत अपराध और दंडनीय है।

स्थानः – लखनऊ **हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांकः– 09.04.2024 **रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**

प्रपत्र बी
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

ग्रेटर अराफात टैनर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

	विवरण	ब्यौरा
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	ग्रेटर अराफात टैनर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	08 सितंबर 1989
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज– कानपुर
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U19116UP1989PTC011154
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	12–सी न्यू जाजमऊ रोड कानपुर, उत्तर प्रदेश–208010 भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता समापन तिथि	19 जून 2023
7.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में परिसमापन आरम्भन तिथि	01 अप्रैल 2024 (माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.04.2024 के अनुसार। आदेश एनसीएलटी वेबसाइट पर अपलोड किया गया और दिनांक 04.04.2024 को ईमेल के माध्यम से परिसमपक को सूचना दी गई)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	स्वामी दीन गुप्ता पंजी. सं.:IBBI/IPA/003/IP-N000132/2017-18/11458
9.	परिसमापक का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	2/64 विशेष खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010 ईमेलः sdguptacmaip@gmail.com
10.	परिसमापक के लिए पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते और ईमेल	2/64 विशेष खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010 ईमेलः cirp.greaterarafat@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	01 मई 2024

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहबाद ने **01 अप्रैल 2024** को **ग्रेटर अराफात टैनर्स प्राइवेट लिमिटेड** का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
ग्रेटर अराफात टैनर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को इसके द्वारा **01 मई 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे परिसमापक को क्रम स.10 में उल्लेखित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।
दावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक प्रपत्र https://ibbi.gov.in/en/home/downloads क्रम संख्या 3 पर उपलब्ध है।
असत्य या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

दिनांकः 09.04.2024 **स्वामी दीन गुप्ता**
स्थानः लखनऊ परिसमापक, ग्रेटर अराफात टैनर्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण सं.:IBBI/IPA/003/IP-N000132/2017-18/11458 | एएफए वैधः 29.10.2024 तक

NCLT नियम, 2016 के नियम 38 के तहत प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से नोटिस, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 20 में आदेश V के साथ पढ़ित

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली पीठ–III में
मेसर्स ओम शिव एंटरप्राइजेज बनाम इम्पलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2024 सीपी (आईबी) संख्या–73 (एनडी)

सेवा में,
इम्पलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः – सी–369, ग्राउंड फ्लोर, योजना विहार, नई दिल्ली–110092
यहाँ भीः–
एससी–01/बी4, सैक्टर–150, नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश– 201310
ईमेलः compliance@damontgroup.com

जबकि, मेसर्स ओम शिव एंटरप्राइजेज के एकमात्र प्रोपराइटर श्री कुलदीप ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया है। जबकि, माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली पीठ– III ने आपको दिनांक 05.04.2024 के आदेश के तहत नोटिस जारी किया और अधोहस्ताक्षरी को प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से आपको प्रेषिती की सेवा करने की अनुमति दी है।
ध्यान दें कि उपरोक्त शीर्षक वाला मामला अब 07.05.2024 को माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली पीठ– III, नई दिल्ली के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। आप या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।
ध्यान दें कि, ऊपर उल्लिखित दिन पर आपकी उपस्थिति के डिफॉल्ट में, आवेदन को आपकी अनुपस्थिति में सुना और निर्धारित किया जाएगा।

श्री कुलदीप
दिनांकः 06.04.2024 **एकमात्र मालिक**
स्थानः नई दिल्ली **ओम शिव एंटरप्राइजेज**

कार्यालय ग्रा.पं. इटौरा, वि.खं. ददरौल (शाहजहाँपुर)

अल्पकालीन निविदा सूचना

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेस–2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना में चयनित ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कार्यों हेतु वाहन निर्माण कार्य की सामग्री /अन्य सामग्री ग्राम पंचायत में उपलब्ध मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा 15वें वित्त योजना की धनराशि से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए निम्नलिखित कार्यों हेतु अल्पकालीन निविदा प्रस्तावित की जाती है। कार्यो का विवरण उनकी लागत तथा अन्य विवरण निम्नवत हैः–

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य की माप	कार्य की अनु.लागत (लाख में)
1.	आर.आर.सी. सेंटर का निर्माण	6 चौड़ाई 9 लंबाई	4,06,000/–

आपूर्ति किये जाने हेतु अनुभवी संस्था के चयन हेतु अल्पकालीन/सामान्य निविदा आमंत्रित की जा रही है निविदा की शर्तें एवं विवरण निविदा पत्र में अंकित है जिसे ग्राम पंचायत के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदाकर्ताओं की फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड को प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा। सामग्री की मात्रा/संख्या घट बढ़ सकती है। 2% धरोहर धनराशि नगद अथवा एफ.डी.आर. के रूप में ग्राम पंचायत के नाम बंधक की जाएगी। निविदा प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 04.03.2024 को 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से क्रय की जा सकती है। निविदा दिनांक 09.03.2024 को 3.00 बजे निविदादाताओं तथा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

प्रधान- आशाराम **सचिव- धर्मेन्द्र मिश्रा**

राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण,
नई दिल्ली पीठ(न्यायालय -VI)
के समक्ष कंपनी याचिका सं. सी.पी. (सीएए) नं. 12/एनडी/2024
कंपनी आवेदन सं. सी. ए. (सीएए) नं. 70/एनडी/2023 से संबंधित
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित, के प्रकरण में,
और
पिकर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एवं बिगफुट रिटेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित अंशधारकों के मध्य व्यवस्था की योजना के प्रकरण में।

पिकर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएनः यू74140डीएल2015पीटीसी418468)
कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत
निगमीकृत एक निगमित जिसका पंजीकृत कार्यालय खसरा नंबर 360,
एन.जी. रोड, सुल्तानपुर, गदईपुर, नई दिल्ली – 110030 में स्थित है
...याचिकादाता कंपनी-1/पृथक्कृत कंपनी/पिकर

बिगफुट रिटेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएनः यू72900डीएल2011पीटीसी225614)
कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत
निगमीकृत एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर–बी,
खसरा नंबर–360, सुल्तानपुर, दिल्ली – 110030 में है
... याचिकादाता कंपनी-2/परिणामी कंपनी/बिगफुट

(याचिकादाता कंपनी–1 और याचिकादाता कंपनी–2 को सामूहिक रूप में **"याचिकादाता कंपनियां"** कहा जाता है)

याचिका की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 **("याचिका")** की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत एक याचिका जो है वह पिकर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और बिगफुट रिटेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित अंशधारकों के मध्य व्यवस्था की योजना ("योजना") को संस्वीकृत करने के लिये, याचिकादाता कंपनियों द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ (न्यायालय–VI) ("न्यायाधिकरण" या "एनसीएलटी") के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और माननीय न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांकित 22 फरवरी 2024 द्वारा इसे स्वीकार कर लिया था। उक्त याचिका के लिए 2 मई, 2024 को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई निर्धारित की गई है।
उक्त याचिका का अनुसमर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को मैसर्स अग्रवाल लॉ एसोसिएट्स, याचिकादाता कंपनियों के अधिवक्ता **("याचिकादाता कंपनियों के अधिवक्ता")** को नीचे उल्लिखित पते पर, अपने / उसके इरादे की सूचना, अपने नाम और पते के साथ उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके इस प्रकार भेजी जानी चाहिये, ताकि यह याचिकादाता कंपनियों के अधिवक्ता और माननीय न्यायाधिकरण के पास याचिका की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि से दो दिन पहले अर्थात् 2 मई, 2024 तक पहुंच जाय। जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध का आधारों या एक अपने/उसके शपथपत्र की एक प्रति को ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करना होगा। याचिका की एक प्रति निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

हस्ता./-
दिनांक : 9 अप्रैल, 2024 **राजीव कुमार**
स्थान : नई दिल्ली **मैसर्स अग्रवाल लॉ एसोसिएट्स**
एडवोकेट्स
34, बाबर लेन, प्रथम तल, बंगाली मार्केट,
नई दिल्ली - 110001
(याचिकादाता कंपनियों के अधिवक्ता)

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Hero Housing Finance

पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना।
एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका अधिग्रहण हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 14–मई–2024 (ई–नीलामी तिथि) को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं अथवा गारंटर की ओर से देय–भुगतेय बकाया राशियों की वसूली के लिए किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज को डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से बोली प्रपत्र के साथ हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के पास 13–मई–2024 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. 27 सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 पर प्रस्तुत / जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि / तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार (रचनागत/भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
HHFNSPHOU 21000013650, HHFNSPIPL 21000013655	पुष्पेंद्र पुत्र नेत्रपाल, मंजू पुत्री देवेंद्र	19/07/2023 रु. 25,03,595/– 04/04/2024 के अनुसार	(भौतिक)	रु. 19,48,000/–	रु. 1,94,800/–

संपत्ति का विवरण : फ्लैट सं. एसएफ 1, एमआईजी, द्वितीय तल, छताधिकारों के साथ, सीधे हाथ पर, जिसमें एक प्रदर्शनी / भोजन कक्ष, दो शयनकक्ष, दो शौचालय एक रसोयी एवं एक बॉलकनी समाविष्ट है, जिसका आवृत्त क्षेत्र माप 508 वर्ग फुट अर्थात् 47.19 वर्ग मीटर है, जो भूखंड सं. एफ 64, खसरा सं. 1213 पर, ब्लॉक एफ, एसएलएफ वेद विहार, ग्राम लोनी परगना एवं तहसील लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व भूखंड सं. एफ 63, पश्चिम अन्य फ्लैट, उत्तर अन्य भूमि, दक्षिण 18 मीटर चौड़ी सड़क (60 फुट चौड़ी) ।

नियम एवं शर्तें : ई नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से दिनांक 14 मई 2024 (ई नीलामी तिथि) को अप. 2.00 बजे के उपरांत 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ आयोजित होगी।
इच्छुक क्रेताओं / बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से अथवा "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से धराज राशि जमा करें। ई नीलामी के समापन के उपरांत असफल बोलीदाताओं को धराज राशि वापस कर दी जायेगी।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें :
1. ई नीलामी "जैसी है जहा है आधार" और "जैसी है जो है आधार" और "वहां जो कुछ भी है आधार" और "बिना किसी संसाधान आधार" पर आयोजित की जा रही है और इसे "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा।
2. बोली वृद्धि राशि रु. 15,000/– (रुपये पंद्रह हजार मात्र) होगी।
3. ई नीलामी, मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नंबर : 07961200576 / 544 / 594 / 596 / 531 / 583 / 569, 6351896643 और ई मेल support@auctiontiger.net/ maulik.shrimali@auctiontiger.net) के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जाएगी।
4. यहां संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है, जो कि प्रतिभूत लेनदारों की जानकारी में है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के ऋणभारों, संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करनेवाले दावों/अधिकारों/बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। इस संबंध में, ई नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की किसी प्रतिबद्धता या किसी अभ्यावेदन का गठन नहीं करता है और न ही गठन करता हुआ माना जाएगा।
5. प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे। विक्रय, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगा। ई नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं : www.herohousingfinance.com.
6. संभावित बोलीदातागण, पूर्वानुमति प्राप्त करके 07 मई 2024 को मध्या. 11.00 से अप. 2.00 बजे के मध्य संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु 30 दिवसीय विक्रय सूचना

उपरोक्त संवर्णित ऋणकर्ता / बंधककर्ता / गारंटरगणें को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि का तिथि के अनुसार नियत ब्याज एवं व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आप से ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात् www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice का संदर्भ ग्रहण करें।

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 09–04–2024 **श्री सुनील यादव, मोबाइल– 9818840495**
स्थान : नई दिल्ली **ईमेल : assetdisposal@herohfl.com**

www.readwhere.com